अनुदान संख्या 100 - लोक निर्माण कार्य
GRANT No. 100–PUBLIC WORKS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,00,00*	*29,95*	*–70,05*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकत-	Voted–				
मूल	Original	779,77,00	801,63,00	701,91,44	–99,71,56
पूरक	Supplementary	21,86,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				72,16,43
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,00,00*	*73,92*	*–26,08*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकत-	Voted–				
मूल	Original	267,54,00	316,76,00	279,70,85	–37,05,15
पूरक	Supplementary	49,22,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				14,45,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत *50.14 लाख रु.* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 72 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (9971.56 लाख रु.) अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 2186.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving of *Rs.50.14 lakhs* occurred under one head constituting 72 percent of the sanctioned *appropriation.*

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.9971.56 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.2186.00 lakhs obtained in August, 2006 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	77976.00			
पू.	S.	2186.00	72945.57	70191.44	–2754.13
पु.	R.	–7216.43			

(I) 1.11 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.11 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) "कार्यालय भवन - निर्माण - भवन" के अंतर्गत 1540.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2186.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3726.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो मुख्य कार्यालय भवनों की मरम्मत के लिए कम मांग होने के कारण 376.52 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Office Building - Construction - Buildings" - the original provision of Rs.1540.00 lakhs was augmented to Rs.3726.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2186.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.376.52 lakhs - due to less demand for repair of Major Office Buildings.

(III) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "कार्यालय भवन" -

(क) "अनुरक्षण और मरम्मत - मरम्मत तथा अनुरक्षण संबंधी निर्माण कार्य" - 710.66 की बचत (16138.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत संबंधी निर्माण कार्यों के लिए कम मांग होने और कार्यप्रभारित कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "पट्टा प्रभार - स्थानीय निकायों आदि को किराया, दरों एवं करों आदि की अदायगी" - 382.83 रु. की बचत (10400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थानीय निकायों से पट्टा प्रभारों के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "उचंत" -

(III) Savings occurred under the following heads:-

(A) "Office Building" –

(a) "Maintenance and Repairs – Repair and Maintenance Works" - saving of Rs.710.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16138.00 lakhs) was due to less demand for maintenance and repairs works of Office Buildings and non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(b) "Lease Charges - Payment of Rent, Rates and Taxes to Local bodies etc." - saving of Rs.382.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10400.00 lakhs) was due to non receipt of claims for lease charges from local bodies.

(c) "Suspense" –

(i) ''स्टाक'' - 4934.60 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों के लिए सामग्री जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''विविध निर्माण कार्य अग्रिम'' - 180.14 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अग्रिमों के संबंध में कम मांग होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन'' -

(क) ''निदेशन'' - 396.54 लाख रु. की बचत (6003.26 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित कम दावे के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''निष्पादन'' - 2271.50 लाख रु. की बचत (21187.83 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''साधारण स्थापना'' - 122.13 लाख रु. की बचत (610.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) ''संरचनात्मक नियोजन'' - 890.01 लाख रु. की बचत (4035.32 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) ''वास्तुशिल्पीय आयोजना'' - 144.18 लाख रु. की बचत (1254.87 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अतंर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 139.17 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थीं।

3. उपर्युक्त बचतें ''अन्य भवन - अनुरक्षण और मरम्मत - मरम्मत और अनुरक्षण कार्य'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 687.92 लाख रु. का

(i) "Stock" – saving of Rs.4934.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to non-issuance of material for works.

(ii) "Misc. Works Advances" – saving of Rs.180.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 400.00 lakhs) was due to less demands for advances.

(B) "General – Direction and Administration"–

(a) "Direction"- saving of Rs.396.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6003.26 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims for reimbursement towards medical expenses.

(b) "Execution"- saving of Rs.2271.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21187.83 lakhs);

(c) "Ordinary Establishment" - saving of Rs.122.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.610.40 lakhs);

(d) "Structural Planning" -saving of Rs.890.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4035.32 lakhs); and

(e) "Architectural Planning" - saving of Rs.144.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1254.87 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-filling up of vacant posts.

(IV) Under two heads savings of Rs.139.17 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 14 percent and 26 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under "Other Buildings – Maintenance and Repairs – Repair and Maintenance Works" – excess of Rs.687.92 lakhs (against the sanctioned

अधिक व्यय (4470.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (3705.15 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 4922.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 75 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

provision of Rs.4470.00 lakhs) was due to increase in cost of raw materials.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.3705.15 lakhs) constituted 75 percent of the supplementary grants of Rs.4922.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 12 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	20272.00			
पू.	S.	4506.00	23653.00	22039.38	–1613.62
पु.	R.	–1125.00			
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	2385.00	2115.00	1784.24	–330.76
पु.	R.	–270.00			
मुख्य शीर्ष "4885" उद्योगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4885" Capital Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	360.00	400.00	359.87	–40.13
पू.	S.	40.00			
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	550.00	450.00	378.12	–71.88
पु.	R.	–100.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''5455'' मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5455" Capital Outlay on Meteorology				
मू.	O.	1400.00	1260.00	1183.81	–76.19
पु.	R.	–140.00			

(I) 50.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान एक मामले में मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य - निर्माण - वित्त (व्यय)'' के अंतर्गत सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान, नई दिल्ली के निर्माण कार्य को आरंभ न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of Rs.50.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" – "General – Construction – Finance (Expenditure)"- due to non-taking up of construction of Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) Building, New Delhi.

(II) मुख्य शीर्ष ''4885'' - ''अन्य - अन्य व्यय - भवन'' के अंतर्गत 360.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 40.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 400.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 40.13 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) मुंबई में नमक आयोग के कार्यालय के चालू निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण थी।

(II) Under Major Head "4885" – "Others – Other Expenditure – Buildings" – the original provision of Rs.360.00 lakhs was augmented to Rs.400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.40.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.40.13 lakhs (including supplementary grant) - due to slow progress of ongoing construction work of the office of Salt Commissioner at Mumbai.

(III) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य - निर्माण'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "4059" – "General – Construction"- remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) ''लेखा परीक्षा'' - 1830.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3330.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो महालेखाकार के आइजोल भवन संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 401.08 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Audit"- the original provision of Rs.1830.00 lakhs was augmented to Rs.3330.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.401.08 lakhs - due to non- finalisation of tenders of Accountant General's Aizol Building.

(खा) ''लोक सभा'' - 1180.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 605.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1785.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो लोक सभा सचिवालय टेलीविजन चैनल को स्थापित किए जाने के लिए

(B) "Lok Sabha" - the original provision of Rs.1180.00 lakhs was augmented to Rs.1785.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.605.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.79.90 lakhs- due to

नियुक्त अभिकरण से कम दावे प्राप्त होने के कारण 79.90 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''4059'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''कार्यालय भवन - निर्माण - भवन'' - 1095.93 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 6601.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजाइन में परिवर्तन होने की वजह से जैसलमेर हाऊस पर उप केंद्र का कार्य शुरू न किए जाने, पूरा हो चुके विज्ञान भवन के पुन: सज्जीकरण संबंधी कार्य का निष्पादन किए जाने और माध्यस्थम पंचाट/न्यायालय निर्णयों इत्यादि के दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - निर्माण'' -

(क) ''संचार'' - 190.44 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''खान'' - 361.22 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत'' - 219.20 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संबंधित विभाग से पर्याप्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकति प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(घ) ''विदेश मामले'' - 500.88 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजना को शुरू न किए जाने और संविदाकारों के बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''4250'' - ''श्रम - भवन'' के अंतर्गत 573.60 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से पर्याप्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकति प्राप्त न होने और फरीदाबाद में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

less claims received from the agency appointed for installation of Lok Sabha Secretariat Television Channel.

(IV) Under Major Head "4059" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Office Buildings - Construction - Buildings" – saving of Rs.1095.93 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6601.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non starting of work of substation at Jaisalmer House owing to change in design, execution of refurnishing work of Vigyan Bhawan since completed and non-receipt of claims of Arbitration Awards/Court Judgements etc.

(B) "General – Construction" -

(a) "Communications" - saving of Rs.190.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 500.00 lakhs);

(b) "Mines" - saving of Rs.361.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 700.00 lakhs); and

(c) "Non-Conventional Energy Sources" – saving of Rs. 219.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 300.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of sufficient administrative approval and expenditure sanction from the client department.

(d) "External Affairs" – saving of Rs. 500.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1400.00 lakhs) was due to non starting of new project and non-finalisation of contractors bills.

(V) Under Major Head "4250" – " Labour – Buildings" – saving of Rs.573.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient administrative approval and expenditure sanction from the client department and slow progress of work at Faridabad.

(VI) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - भवन'' के अंतर्गत 171.88 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से पर्याप्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकति प्राप्त न होने और दक्षिण अंचल-I, चेन्नई और पश्चिम अंचल-I, मुंबई में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "5052" - "General-Other Expenditure - Buildings"- saving of Rs.171.88 lakhs (against the sanctioned provision Rs.550.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient administrative approval and expenditure sanction from the client department and slow progress of work in South Zone-I, Chennai and West Zone-I, Mumbai.

(VII) मुख्य शीर्ष ''5455'' - वेधशालाएं और मौसम केंद्र - भवन'' के अंतर्गत 216.19 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से पर्याप्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "5455" – "Observatories and Weather Stations – Buildings" – saving of Rs. 216.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1400.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient administrative approval and expenditure sanction from the client department.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य - निर्माण - वित्त (राजस्व)'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 198.19 लाख रु. का अधिक व्यय (2350.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 8482.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लुधियाना और जम्मू एवं कश्मीर में आयकर भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5. The above savings were partly off set by excess under Major Head "4059" – "General – Construction – Finance (Revenue)" – excess of Rs.198.19 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs. 8482.00 lakhs including supplementary grant of Rs. 2350.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of Income Tax Building at Ludhiana and Jammu & Kashmir.